न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 66 / 2024

प्रार्थी–	***बनाम***	**अप्रार्थी–**
राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर		श्री रोशन खान पुत्र श्री शेभु खान जाति मुसलमान, निवासी ग्राम करीम का पार, तहसील गडरारोड़, जिला बाड़मेर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री इकबाल खान, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 18.02.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 21.09.2024 को श्री अनिल कुमार, प्रवर्त्तन निरीक्षक बाड़मेर हमराम श्री कंवराराम, जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर, श्री भंवरलाल मीणा, तहसीलदार रामसर द्वारा मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स आजाद होटल, गागरिया पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर दुकान मालिक अप्रार्थी श्री रोशन खान पुत्र श्री शेभु खान, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम करीम का पार, तहसीलदार गडरारोड़, जिला बाड़मेर उपस्थित मिले [illegible] दुकान मे चाय व खाना बनाकर ग्राहकों को विक्रय [illegible] दुकान की जांच की तो तीन घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक [illegible] हेतु प्रयोग मे लेना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर (एचपीसीएल) मार्क का पाया गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:08:39 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	207187T	HPCl	17.300 Kg	15.300 Kg	2.000 Kg
2.	01013P	HPCL	15.400 Kg	15.400 Kg	0.000 Kg
3.	969131S	HPCL	18.700 Kg	15.700 Kg	3.000 Kg

2. मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने पर उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। मौके पर जब्तशुदा 3 घरेलू गैर सिलेण्डर मैसर्स श्री सांई कृपा एच.पी.गैस ग्रामीण वितरक, रासमर के मैनेजर श्री हिम्मतसिंह पुत्र श्री हाथीसिंह, जाति राजपूत निवासी रामसर को सुपुर्दनामे पर सुपुर्द किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजीबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त गैस सिलेण्डर जो विप्रार्थी की दुकान [illegible] मय डायरिया भरवाने हेतु रखे हुए थे। वास्तव [illegible] गैस सिलेण्डरों की सप्लाई उनके गांव तक नहीं [illegible] उक्त दिन गैस एजेन्सी की सप्लाई हेतु वाहन आने वाला था उक्त गै[illegible] सिलेण्डर अपने दो रिश्तेदारो के गैस सिलेण्डर भी वहां पर लाकर रखा ताकि गैस एजेन्सी का वाहन आने

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:08:39 IST
Reason: SelfAttested

पर उक्त गैस कन्क्शन के नये सिलेण्डर प्राप्त कर सके लिहाजा उसके विरूद्ध की गई उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जाकर जब्तशुदा सिलेण्डर उसे दिये जाने का आदेश प्रदान करावें।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभियोजन अधिकारी को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किया गया है जो वर्तमान में गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक श्री सांई कृपा एच.पी.गैस ग्रामीण वितरक, रासमर को सुपुर्दगी पर दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी द्वारा प्रकट जवाब उक्त गैस सिलेण्डर जो विप्रार्थी की दुकान पर मात्र उसके परिवार वालो ने मय डायरिया भरवाने हेतु रखे हुए थे। वास्तव में विप्रार्थी के परिवार के गैस सिलेण्डरों की सप्लाई उनके गांव तक नहीं होती है ऐसी स्थिति में उक्त दिन गैस एजेन्सी की सप्लाई हेतु वाहन आने वाला था उक्त गैस सिलेण्डर अपने दो रिश्तेदारो के गैस सिलेण्डर भी वहां पर लाकर रखा ताकि गैस एजेन्सी का वाहन आने पर उक्त गैस कन्क्शन के नये सिलेण्डर प्राप्त कर सके जबकि मौतबिरान के रूबरू मौके व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग लेते हुए जब्त किये गये हैं। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरीत एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित अ[illegible]द है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:08:39 IST
Reason: SelfAttested

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों [illegible] विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र [illegible]कार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये द्रवीकृत

पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन मे पाये जाने से उपरोक्त तीनो गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलू गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें।

6. आदेश आज दिनांक 18.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:08:39 IST
Reason: SelfAttested